दिनांक- 22.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त (01 तमंचा / 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 मोबाईल फोन व 01 क्रेटा कार) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2026 को वादी प्रदीप राणा पुत्र राज सिंह राणा निवासी साधारण सिर थाना नांगल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण 1. सुनील वर्मा पुत्र प्रेमचन्द निवासी मकान नं0 63, लेन नं0 4, सेवला कला दून एन्कलेव कालोनी थाना पटेल नगर जिला देहरादून 2. शक्ति ठाकुर पुत्र ब्रहमदीन निवासी ट्रांसपोर्ट नगर थाना पटेल नगर जिला देहरादून 3. विक्रान्त ठाकुर पुत्र ब्रहमदीन निवासी ट्रांसपोर्ट नगर थाना पटेल नगर जिला देहरादून 4. विकास उर्फ विक्की राणा पुत्र स्व0 पीतम सिंह निवासी रणखन्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 5. कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा एक राय होकर फार्म हाउस पर आकर जान से मारने की नियत से फायरिंग करना जिसमें शिवम राणा पुत्र प्रदीप राणा निवासी साधारण सिर थाना नांगल जनपद सहारनपुर, मनीष पुत्र वेदपाल निवासी गणेशपुर थाना बिहारीगढ़ व योगेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी बिनौली रोड वर्धा ज्योति कालोनी बड़ौत बागपत को गोली लग जाने से गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा दौराने उपचार शिवम राणा की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 26/2026 धारा 103(1)/333/109(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक अस्लाह की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.02.26 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त **अजय राणा पुत्र सुरेश राणा निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर** को सर्विस रोड पर टान्डामान से पहले बन रहे हाइवे के रेस्ट एरिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 क्रेटा कार (UP 37 K 0009) 01 तमंचा / 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर एंव 01 मोबाईल फोन बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 2/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अजय राणा उपरोक्त ने बताया कि **सुनील वर्मा पुत्र प्रेमचन्द निवासी मकान नं0 63, लेन नं0 4, सेवला कला दून एन्कलेव कालोनी थाना पटेल नगर जिला देहरादून** व पंकज शर्मा पुत्र स्व0 राकेश शर्मा नि0 जीएस 149 मालिबू टाउन गुडगांव हरियाणा का आपस में प्लॉटिंग के पैसो एवं शिवालिक में दो बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद में बात चीत करने के लिये दोनो पक्ष के लोग दिनांक 08.02.2026 को पंकज शर्मा की किराये की काटेज पर आये थे। मैं भी अपने साथी सुनील वर्मा के साथ काटेज पर गया था। बात चीत के दौरान दोनो पक्षों की आपस में बहस हो गयी तो सुनील वर्मा के पक्ष से मैने,सुनील वर्मा,शक्ति ठाकुर, विक्रान्त ठाकुर, विक्की उर्फ विकास राणा, सलमान व अन्य लोगो ने पंकज शर्मा पक्ष पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी थी। जिसमें शिवम राणा की गोली लगी थी एवं दो अन्य घायल हो गये थे। गोली बारी करने के बाद हम डर के कारण मौके से फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अजय राणा पुत्र सुरेश राणा निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमंचा /03 जिन्दा कारतूस .315 बोर (घटना मे प्रयुक्त)
- 01 क्रेटा कार रजि0 नं0 UP 37 K 0009 (घटना मे प्रयुक्त)
- 01 मोबाईल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 24/18 धारा 147, 148, 323, 355, 504 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 26/26 धारा 103(1)/333/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. का0 328 गगन थाना बिहारीगढ सहारनपुर
4. का0 1377 रवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

दिनांक - 22.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मोटर साइकिल चोरी की तीन घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.02.2026 को वादी श्री राज कुमार शर्मा पुत्र रमेश कुमार शर्मा निवासी नुमाइश कैंप गोपाल नगर थाना नगर कोतवाली जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटर साइकिल चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 24/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी गये मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर वाहन चोर/**अभियुक्त शोएब पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम माधोपुर हजरतपुर थाना गंगनहर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** को लिंक रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 03 मोटर साईकिल 1.हीरो स्प्लेण्डर प्लस रजि० न०- UP11AR5999 सम्बन्धित मु0अ0सं0 24/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर 2.मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर रजि न0 UK17J3536 सम्बन्धित मु0अ0सं0 809/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना मंगलौर जिला हरिद्वार 3.मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस रजि0न0 UP11CF4952 सम्बन्धित मु0अ0सं0 44/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त शोएब उपरोक्त ने बताया कि मैं चोरी गयी मोटरसाइकिल को कम कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हुँ। मैंने दिनांक 05.02.2026 को जेल चुंगी के पास शराब के ठेके के पास से एक मोटरसाइखि चोरी की थी।कुछ महिने पहले मैंने जिला अस्पताल से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी तथा एक मोटरसाइकिल मंगलौर,उत्तराखण्ड से चोरी की थी। आज जब मैं चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। चोरी गयी दो मोटरसाइकिल मैंने श्री राम ज्ञान वाटिका जनता रोड पर खाली प्लॉट में छिपा कर रखी थी जिन्हें मैंने पुलिस को बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त शोएब पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम माधोपुर हजरतपुर थाना गंग नहर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

बरामदगी-

- **चोरी की 03 मोटरसाइकिल -**

1. हीरो स्प्लेण्डर प्लस रजि० न०- UP11AR5999 (मु0अ0सं0 24/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर)

2. मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर रजि न0 UK17J3536 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 809/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना मंगलौर जिला हरिद्वार)
3. मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस रजि0न0 UP11CF4952 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 44/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर)

गिरफ्तार अभियुक्त शोएब का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 24/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 44/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 753/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगनहर जिला हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ0नि0 अभिषेक कुशवाह थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. है0का0 574 अश्वनी थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3.है0का0125 आदित्य राणा थाना जनकपुरी,सहारनपुर
4.का0 2474 प्रताप सिंह थाना जनकपुरी,सहारनपुर

दिनांक- 22.02.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 12.37 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 01 लाख रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी/बिक्री को रोकथमा व इन गतिविधियों में शामिल शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.02.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **साजिद पुत्र मकसूद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को फिरोजाबाद से अब्दुल्लापुर अहाडी जाने वाली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 12.37 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 65/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

साजिद पुत्र मकसूद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 12.37 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त साजिद का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 92/18 धारा 147/148/149/323/324/326/452/506 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 129/18 धारा 138(1) बी विधुत अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 86/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एकट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 925 पंकज चौधरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 2549 जिम्मी सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 22-02-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 21.02.2026 को वादी जोगेन्द्र सिंह पुत्र पिरथी सिंह निवासी फऱकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत प्रतिवादीगण 1.अशोक सिंह पुत्र नोरंग 2. अनुप सिंह पुत्र अशोक निवासीगण चकहरेटी थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर 3. राहुल पुत्र नाथीराम निवासी सिकरोडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार 4. रवि पुत्र नाथीराम निवासी सिकरोडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार व 4-5 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा एक राय होकर धार -दार हथियार से सुसज्जित होकर जान से मारने की नियत से वादी के पुत्र सुनील ,मोन्टी पुत्र पिंकी ,आशू कुमार पुत्र बुबेराम ,भूपेन्द्र पुत्र झल सिंह ,विनीत पुत्र रोहताश निवासीगण फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को घायल कर देना एव गाली गलौज करते हुए मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना के सम्बनध मे मु0अ0सं0 77/26 धारा 191(2)/191(3) /109(1)/ 115(2)/352/ 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एंव घटना में प्रयुक्त धारधार हथियारों की बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त **राहुल पुत्र नाथीराम निवासी सिकरोडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार** को भोगपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 21.02.2026 को मैं विवाह कार्यक्रम(बारात) के साथ ग्राम फरकपुर नवादा में गया था। किसी बात को लेकर हमार लड़की पक्ष के कुछ व्यक्तियों से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर मैं, अशोक ,अनुप सिंह ,रवि व 4-5 अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात हम सभी ने मिलकर जान से मारने की नीयत से मोन्टी एवं उसके दोस्तों पर हमला कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

राहुल पुत्र नाथीराम निवासी सिकरोडा थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. का0 412 धनुज कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 22.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण ,वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.02.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **रघुवीर पुत्र मुख्ताराम निवासी मौ0 वर्धमान कालोनी थाना कोतवाली देहात जपनद सहारनपुर** सम्बंधित वाद संख्या 1828/25 धारा 147 बीएनएसएस चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर के संबंध में अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारंटी /अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

रघुवीर पुत्र मुख्ताराम निवासी मौ0 वर्धमान कालोनी थाना कोतवाली देहात जपनद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. का0 2238 मुकेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 1105 सचिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

दिनांक- 22.02.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 15.25 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रूपये)

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी/बिक्री को रोकथमा व इन गतिविधियों में शामिल शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.02.2026 को गस्त/चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **आस मोहम्मद उर्फ आशू पुत्र अशरफ निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को कच्चा पक्का दुमझेडा से ग्राम नल्हेडा की तरफ से जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 15.25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 64/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। । अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

आस मोहम्मद उर्फ आशू पुत्र अशरफ निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 15.25 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त आस मोहम्मद उर्फ आशू का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 117/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 461 धर्मसिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 2299 कृष्णवीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
5. का0 215 सुमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।